महत्वपूर्ण एवं खास

सरिया और डोंगरीपाली क्षेत्र के शराब दुकान 18 मई की शाम 5 बजे से बंद

ओडिशा के बरगढ़ लोकसभा सीट के 20 मई मतदान दिवस के कारण 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध लागू

सारंगढ़ बिलाईगढ़। ओडिशा के बरगढ़ लोकसभा सीट के लिए 20 मई 2024 को मतदान होगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सरिया और डोंगरीपाली क्षेत्र के मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई 2024 की शाम 5 बजे से 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक देशी और विदेशी मदिरा दुकान सरिया तथा कंपोजिट मदिरा दुकान झिंकीपाली (डोंगरीपाली) बंद करने का आदेश किया है। कलेक्टर साहू के जारी आदेश अनुसार सारंगढ़ बिलाईगढ जिले की सीमा के 05 किलोमीटर की परिधि अंतर्गत संचालित देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित है और इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित है।

रात्रि 10 बजे के बाद बजने वाले डीजे आदि होंगे जब्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला प्रशासन द्वारा रात्रि 10 बजे से बजने वाले सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किया जाएगा, जिले में 16 मार्च से ध्वनि कोलाहाल नियंत्रण के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है। प्रतिबंध के बावजूद ऐसे कानून के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किसी समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र के अनुमति होने के बाद भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहाल प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी स्थिति में अनुमति और बिना अनुमति दोनों परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। इस प्रकार की जिले में घटना होने पर 112 की टीम को कॉल कर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद करा सकते हैं। कार्यपालिक दंडाधिकारी की टीम द्वारा किसी डीजे आदि को जप्त की जाएगी तो नियम के साथ 4 जून 2024 तक आदर्श आचरण संहिता का भी नियम भी स्वमेव जुड़ जाएगा।

12 साल तक छात्रा का दैहिक शोषण, शिक्षक ने किया कोर्ट में सरेंडर

पेंड्रा-रायपुर (आरएनएस)। एक छात्रा से 12 साल तक दुष्कर्म करने वाले फरार टीचर ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया है. पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाने में केस दर्ज होने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. सारबहरा इलाके में रहने वाले सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ स्कूल में पढने वाली पूर्व छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष थी, तब शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने घर ले गया था और धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया. उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा. अब वह छात्रा 24 वर्ष की हो गई है और गर्भवती हो गई. उसके बाद भी वो उसका शोषण करता रहा।

एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने के आरोप में एक गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के बांगो थाना अंतर्गत कोनकोना में आईडीबीआई बैंक के एटीएम में तोडफ़ोड़ कर चोरी के प्रयास का मामला सामने आया था। घटना के 24 घंटे के अंदर ही कथित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उक्त कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा हैं की कथित आरोपी शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो चोरी करने एटीएम गया। वह एटीएम में सेंध मार कर अंदर घुसा था। उसकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे कैद थी। इस आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हैं।

आरटीई अधिनियम अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में कलेक्टरों को दिशा-निर्देश

रायपुर। आरएनएस

प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत् आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग तथा अलाभित समूह के बच्चों को उनकी पहुंच सीमा में प्रवेश दिलाया जाता है। किन्तु यह संज्ञान में आ रहा है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को अधिनियम की मंशा के अनुरूप इस महत्वपूर्ण योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में योजना का मैदानी स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर शासन द्वारा विभिन्न आदेश, दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा आरटीई अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर पुन: आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है- अधिनियम की धारा 12 (1) (ब) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत् की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2), धारा 18 की उप-धारा (5) एवं धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन दण्डनीय अपराधों का अभियोजन संस्थित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में 'सक्षम प्राधिकारी' अधिसूचित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से अधिनियम का निचले स्तर पर पालन कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का है।

इस योजना के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु वर्ष 2018-19 से आर.टी.ई. पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन करते हुए उनके द्वारा चाहे गये विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पहुंच सीमा की परिधि में संचालित शालाओं की मैपिंग की जाती है। अत: सभी विद्यालयों की आर.टी.ई. पोर्टल में मैपिंग हो, यह आवश्यक है। इस हेतु अपने जिले में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ऐसा प्रयास किया जाये, साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि जिले में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय आर.टी.ई. पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी योजना अंतर्गत उन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकें।

प्राथमिक शाला के संदर्भ में बसाहट के एक किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालयों को बसाहट सीमा के निर्धारण में शामिल किया जाता है। बसाहट सीमा के निर्धारण में यह संभव है कि क्षेत्र विशेष में एक किलोमीटर के भीतर एक से अधिक अशासकीय, शासकीय या दोनो तरह के विद्यालय हों। यह भी संभव है कि, अशासकीय विद्यालय के एक किलोमीटर के भीतर भौगोलिक रूप से कोई बसाहट न हो। इस स्थिति में ऐसे अशासकीय विद्यालय के लिये उपयुक्त बसाहट सीमा में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र का निर्धारण किया जावेगा।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के अंतर्गत विद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना है। कतिपय विद्यालयों के द्वारा स्कूल पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध न कराकर नगद राशि प्रदान की जा रही है, जो कि अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिये दोषी पाये जाने पर वे अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत दण्ड के भागी होंगे साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय अनुसार अवमानना के दोषी होंगे।

यद्यपि कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है किन्तु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत् प्रवेशित छात्रों का कक्षा 8वीं के पश्चात् पढ़ाई में निरन्तरता बनाये रखने हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है, जिनके शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति छात्र 15 हजार रूपए एवं शिक्षण सामग्री हेतु एक हजार रूपए देय है।

खनिज विभाग के केन्द्रीय व जिला की संयुक्त टीम ने पकड़ी चैन माउंट मशीन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग के केंद्रीय उड़नदस्ता और जिला दल के संयुक्त टीम ने सारंगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुर में प्रातः 5 बजे छापामार कार्यवाही की। इस आकस्मिक निरीक्षण में मौका स्थल पर अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त 1 मशीन (210 चैन माउंट मशीन) होना पाया गया। मौका स्थल में भंडारित खनिज रेत के संबंध में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया की जप्त मशीन कृष्णा राजपूत का है, जिसे जप्त कर थाना प्रभारी कोसीर थाना के सुपुर्दगी में दिया गया। जांच टीम में निरीक्षण के दौरान डिप्टी डायरेक्टर बी. के. चंद्राकर नेतृत्व मे खनि अधिकारी अवधेश बारीक, अनिल साहू, सहायक खनि अधिकारी रोहित साहू, राहुल गुलाटी, सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा, खनि निरीक्षक जागृत गायकवाड, भूपेंद्र भक्त, दीपक पटेल, अनुराग नंद, विवेक वाणी, प्रहलाद देवांगन, दिनेश तिवारी आदि उपस्थित थे।

सिंघनपुर में अवैध रेत परिवहन एवं भंडारण में एक हाइवा पकड़ा गया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर खनि अधिकारी हीरादास भारद्वाज के मार्गदर्शन में खनिज टीम द्वारा कोसीर क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेत (बालू) का अवैध खनिज भंडारण होना पाया गया। मौका स्थल में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि कृष्णा राजपूत निवासी सिंघनपुर द्वारा भंडारण किया गया है। इस भंडारित खनिज रेत से लगभग 80-100 हाइवा के ट्राली को भरा जा सकता है। इस रेत को जप्त कर ग्राम पंचायत सिंघनपुर के सुपुर्दगी में कार्यवाही की गई तथा एक हाइवा क्रमांक सीजी 11 बीजे 7593 जप्त कर थाना प्रभारी सरसींवा के सुपुर्दगी में दिया गया। इसकी आगे कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवम् ख़ान एवं खनिज विकास आधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर की जायेगी। मौके पर निरीक्षण के दौरान खनिज टीम में दीपक पटेल, अनुराग नंद सहित सुरक्षाकर्मी शामिल थे।

31 मई और 2 जून को रद्द रहेगी दुरंतो एक्सप्रेस

रायपुर ई (आरएनएस)। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफार्म विस्तार के साथ स्टेशन और स्टेशन यार्ड में नान इंटरलाकिंग का काम कराया जा रहा है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली दोनों तरफ से दुरंतो एक्सप्रेस को रद किया गया है। साथ ही तीन ट्रेनों को गंतव्य से पहले दादर स्टेशन में समाप्त करने और चार ट्रेनों को गंतव्य से पहले दादर स्टेशन से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। रेलवे के इस निर्णय से रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य जिलों के यात्रियों को मुंबई और हावड़ा आने-जाने में परेशानी होगी। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 मई को हावड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस और दो जून को सीएसएमटी से चलने वाली ट्रेन नंबर 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। साथ ही 16 मई से 31 मई तक हावड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा-सीएसएमटी सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस गंतव्य से पहले दादर स्टेशन में समाप्त होगी। जबकि 18 मई और 31 मई को हावड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 31 मई को हावड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजली एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 31 मई और एक जून को गोंदिया से चलने वाली ट्रेन नंबर 12106 गोंदिया-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी।

सरकार की दी गई आवास राशि से मकान बनाएं अन्यथा होगा कुर्की: परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान

❐ **05 जून 2024 तक आवास निर्माण पूर्ण करने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार**

सारंगढ़ बिलाईगढ़

एक लापरवाह हितग्राही से पूर्व में राशि वसूलने के बाद अब परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान ने लापरवाह श्रेणी के ग्रामीण आवास हितग्राहियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि आवास निर्माण के लिए सरकार की सहायता राशि लेकर जो हितग्राही मकान नहीं बना रहे हैं उनको 31 मई 2024 तक आवास पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि प्रथम किश्त प्राप्त हितग्राही आवास की राशि लेकर आवास निर्माण नही करा रहे हैं उसका आवास निरस्त कर राशि कुर्की के माध्यम से वसूली की जाएगी।

प्रथम किश्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को आवास निर्माण प्रारंभ कराना है। द्वितीय और तृतीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों को आवास कार्य पूर्ण कराना है। अभी 15 मई से 05 जून तक आवास कार्य पूरा करने का महाअभियान रखा गया है, जिसमें जिला, जनपद और पंचायत स्तर की टीम जिले के हितग्राहियों के घर तक जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगा तो निराकरण किया जाएगा। इस महाअभियान के दौरान जो हितग्राही समय अवधि में आवास कार्य पूर्ण करेगा उसको प्रोत्साहन स्वरुप उपहार दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को, अच्छी बारिश होने की उम्मीद

रायपुर। आरएनएस

देश के मानसून की 31 मई से हो सकती है। केरल में मानसून के दस्तक देते ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी। इस बार पिछले से अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है। यह मानसून किसानों के लिए काफी बेहतर हो सकता है। 106 फीसदी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून के जगदलपुर पहुंचने की सामान्य तिथि 13 जून है। रायपुर में 16 जून है और अंबिकापुर में 21 जून है। इस साल वर्षा 106 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि सामान्य से इस वर्ष अधिक बारिश होने की संभावना है। इस मुख्या कारण एल नीनो है वह इफ़ेक्ट करता है। एल नीनो प्रभाव कम हो गया है यानी न्यूट्रल कंडीशन पर है। जिसके कारण इस साल अच्छे मानसून की संभावना है। अच्छी बारिश से किसानों को फसल उत्पादन में काफी मदद मिलेगी।

बता दें कि बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर अपडेट दी है। मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इसके बाद यह आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि यह जल्दी नहीं है। यह सामान्य तारीख के करीब है क्योंकि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख एक जून है।

हाईकोर्ट से 3 डॉक्टरों को बड़ी राहत, अदालत ने एफआईआर किया निरस्त

❐ **हर्निया के ऑपरेशन के दौरान बच्चे की हुई थी मौत**

बिलासपुर। आरएनएस

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोरबा के 3 डॉक्टरों के खिलाफ इलाज में लापरवाही के आरोप में धारा 304ए/34 के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज के दौरान चिकित्सक ने लापरवाही बरती या नहीं, यह तय करने का अधिकार मेडिकल बोर्ड को है. बिना बोर्ड की रिपोर्ट और अनुशंसा के चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती.

दरअसल, कोरबा जिले में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान पांच साल के बच्चे की मौत हो गई थी. बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर प्रभात पाणिग्रही, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रतीक धर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप था, कि डाक्टर पाणिग्रही ने जिला अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने की बात कहते हुए बालकोनगर के निजी आयुष्मान नर्सिंग होम भेज दिया था. निजी नर्सिंग होम में बच्चे के इलाज के दौरान ऑपरेशन थिएटर में डॉ. पाणिग्रही के साथ आयुष्मान नर्सिंग होम के डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉ. शर्मा मौजूद थे. पुलिस के अनुसार बच्चे दिव्यांश को ऑपरेशन के लिए ले जाने के करीब आधे घंटे बाद डॉ. पाणिग्राही ने उन्हें बच्चे की तबीयत बिगडऩे की जानकारी दी. इसके साथ ही डॉक्टरों ने परिजन से पूछे बिना बच्चे को कोसाबाड़ी के एक निजी अस्पतल में भर्ती करा दिया. कुछ ही देर बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने परिजन को बच्चे की मौत की जानकारी दी.

आरोपी डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आरोप के संबंध में मेडिकल बोर्ड या सक्षम अधिकारी से जांच नहीं कराई गई है. लिहाजा इलाज में लापरवाही बरतने का कोई प्राथमिक मामला नहीं बनता है. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मामले में बच्चे की स्थिति के बारे में परिवार को पहले ही बता दिया गया था.

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

खदानों का विस्तार जारी: दर्राखांचा में जमीन की नाप-जोख के साथ खोदाई कार्य शुरू

❐ **भूविस्थापितों के मामले अटके, हैवी ब्लास्टिंग से कई इलाके खतरे में**

कोरबा। आरएनएस

कोयला की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए खदानों का विस्तार जारी है। एसईसीएल गेवरा परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी कोल माइंस का दर्जा मिलने के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले दर्राखांचा की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। औपचारिकताओं की पूर्ति कई मामलों में बची हुई है। लेकिन कामकाज शुरू होने से लोग परेशान हैं। खासतौर पर गांव के नजदीक ही खोदाई शुरू किये जाने से पानी से जुड़ी समस्याएं पैदा हो गई है।

हरदीबाजार के नजदीक बसे दर्राखांचा गांव तक कोलफील्ड का विस्तार किया जा रहा है। गेवरा परियोजना को इस इलाके तक बढ़ाने की मानसिकता पहले से थी और आखिरकार इसे परवान चढ़ाने के लिए कदम बढ़ा दिए गए। बताया गया कि 450 से ज्यादा मकान इस क्षेत्र में मौजूद हैं जो विस्तार की जद में आए हैं। भूअर्जन के बाद की प्रक्रिया को लेकर इलाके की नापजोख कंपनी व सरकार के राजस्व विभाग की ओर से की गई है। लोग बताते हैं कि अरसा पहले यह काम पूरा हो गया लेकिन संबंधित लोगों को इस बारे में पावती नहीं दी गई जिससे कि पता चल सके कि उनकी कितनी जमीन का सर्वे करने के साथ इसे प्रतिपूर्ति के लिए शामिल किया गया है। मुआवजा कब मिलेगा, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इंतजार किया जा रहा था कि प्रक्रियाएं जल्द पूरी होगी लेकिन पाली एसडीएम रूचि सार्दुल का तबादला होने से चीजें बिगड़ गई। वहीं गांव के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर महज 5-10 मीटर से आगे ही एसईसीएल ने विस्तार के अंतर्गत शुरुआती खोदाई का काम प्रारंभ करवा दिया है। इसके कारण कई प्रकार के दुस्वारियों को यहां फैलने के लिए जगह नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जल स्तर को लेकर पहले से ही शिकायतों की चिंता निराकरण करने को लेकर किसी भी स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि खनन से जुड़ी प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है ऐसे में परेशानियों को और मजबूती मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब राष्ट्रीय उत्थान और इंधन की जरूरत की पूर्ति के लिए इस इलाके से कोयला की निकासी करना ही है तो फिर लोगों को और ज्यादा परेशान करने की क्या जरूरत। उन्होंने तर्क दिया कि क्यों न विस्थापन के साथ-साथ मुआवजा और पुनर्वास व रोजगार जैसी प्रक्रियाओं को भी पूरी रफ्तार से संपन्न किया जाए। ऐसा करने से हमार परेशानी कम होगी और प्रबंधन को अनावश्यक चुनौतियों से नहीं जूझना पड़ेगा।

कोरबा जिले के अंतर्गत चार क्षेत्रों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खुली खदानें चल रही है। यहां पर कोयला खनन से संबंधित गतिविधियों के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करते हुए ब्लास्टिंग हर रोज की जाती है। इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। एसईसीएल को भले ही सुरक्षा मानक पर ध्यान रखते हुए इस काम को करना है लेकिन ब्लास्टिंग के प्रभाव बड़े हिस्से तक हो रहे हैं। खदानों के आसपास रिहायशी क्षेत्र के साथ-साथ जल स्तर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।